

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2012 को**

**समाप्त तिमाही (01.10.2012 से 31.12.2012 तक)**

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	390
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	शून्य
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	17(सत्रह) [2 मामलों में मुख्य सूचना आयुक्त ने केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को, यह निदेश दिया है कि आवेदक को निशुल्क दस्तावेज उपलब्ध कराएं और 2 मामलों में मुख्य सूचना आयुक्त ने आवेदक को भुगतान के आधार पर दस्तावेज उपलब्ध कराने का निदेश दिया है] 13 मामले मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ङ.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	<b>15165/- रूपए</b>
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	आवेदनों के निपटान की निरंतर रूप से जाँच की जा रही है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य

(आनन्द कुमार पाठक)

अवर सचिव

एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी